(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 32 / 2024

रजिस्ट्रेशन सं0 :– 2024 / 180

बउनवान

लक्ष्मीचंद आयु 60वर्ष पुत्र गोपाल जाति लोधा निवासी सालरखोह तह. छीपाबड़ौद जिला बारां
(अपीलांट)

बनाम

1. द्वारकीलाल आयु 53वर्ष पुत्र श्री कजोड़ लोधा निवासी भावपुरा तह. छीपाबडौद जिला बारां
2. चंपालाल आयु 49वर्ष पुत्र श्री कजोड़ लोधा निवासी भावपुरा तह. छीपाबडौद जिला बारां 3.
3. मोहनलाल आयु 51वर्ष पुत्र श्री कजोड़ लोधा निवासी भावपुरा तह. छीपाबडौद जिला बारां
4. तहसीलदार साहब तहसील छीपाबडौद जिला बारॉ

(रेस्पोडेन्टगण)

अपील विरूद्ध तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा प्रार्थना पत्र में पारित निर्णय दिनांक 04.10.2024 की अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.एक्ट, 1955 के तहत

उपस्थित :– 1– श्री आर.पी.गोयल अभिभाषक (अपीलांट)
2– श्री धर्मेन्द्र सिंह चौधरी अभिभाषक (रेस्पो. क्र. 1 ता 3)
3– पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट क्रम 4)

निर्णय दिनांक 28.01.2025

अपीलांट द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.एक्ट के तहत पारित निर्णय दिनांक 04.10.2024 से अप्रसन्न होकर अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्टगण के इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

इस पर प्रस्तुत अपील को दिनांक 04.11.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया और अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद से मूल पत्रावली तलब की गई जो प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली की गई। रेस्पोडेन्टगण द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। रेस्पो. क्रम 04 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित है। प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई ।

अपीलांटगण के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत अपील के तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय कानून व प्राकृतिक न्याय व सिद्धांतों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 251 आर.टी.एक्ट का प्रार्थनापत्र बिना ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत हुये और ग्राम पंचायत द्वारा इस बाबत् आदेश निर्धारित समयावधि में पारित न करने पर हीं अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय पारित करने का क्षेत्राधिकार होता। उक्त प्रकरण में रेस्पो. क्रम 1 ता 3 ने ग्राम पंचायत हरनावदाशाहजी में कोई एप्रोच हीं नहीं किया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को उक्त प्रकरण क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज [illegible] चाहिए था अथवा लौटा देना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 251 आर.टी.[illegible] के [illegible]त प्रार्थना पत्र पेश हुआ था जिसमें अधीनस्थ न्यायालय का क्षेत्राधिकार यह है कि यदि कोई [illegible] रास्ता हो और उक्त रास्ते को बंद कर दिया जावे तो ग्राम पंचायत उक्त रास्ते को खुल[illegible] करवायेगी। इस प्रकरण में अपीलार्थी के खाते की आराजी खसरा नंबर 464 माल सालरखोह [illegible]वार हल्का हरनावदाशाहजी [illegible] होकर कोई रास्ता ही नहीं है, इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्तनीय है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.03.21 13:07:03 IST
Reason: SelfAttested

आराजी खसरा नंबर 464 जो अपीलांट लक्ष्मीचंद के खातेदारी की है। उक्त आराजी के बाबत् राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस में होकर कोई रास्ता नहीं है। इस संबंध में पटवारी पटवार हल्का हरनावदाशाहजी द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 21.04.2024 में यह साबित होता है ''पटवारी पटवार हल्का द्वारा उल्लेखित रिपोर्ट में यह है कि खसरा नंबर 464 का खातेदार लक्ष्मीचंद पुत्र गोपाल लोधा अमृतखेड़ी है जिसमें मौके पर कोई रास्ता नहीं है और न हीं राजस्व नक्शे में रास्ता दर्ज है।''

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में यह उभर कर आता है कि रास्ते का अस्तित्व नहीं है तो ऐसी स्थिति में धारा 251 आर.टी.एक्ट के तहत रेस्पोडेन्टगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं है। इन सबके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के खाते की आराजी खसरा नंबर 464 में होकर रास्ता कायम करने का जो आदेश दिया है, वो निरस्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्टगण को यदि नया रास्ता कायम करवाना है तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 ए के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडौद मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिये था।

रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ता 3 ने आराजी खसरा नं. 462/2 रकबा 1.6187 हेक्टर माल सालर खोह खातेदारी व कब्जे काश्त का होना जाहिर किया है। राजस्व रेकार्ड नकल जमाबंदी वर्तमान में खसरा नं. 462/2 की आराजी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ता 3 के खातेदारी की नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं प्रस्तुत गवाहान का अपने निर्णय में विवेचन व विश्लेषण नहीं किया और आदेश पारित करने में भारी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ता 3 के हक में मन बनाकर हीं निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी माल सालरखोह तहसील छीपाबड़ौद में वाके है। उक्त गांव नायब तहसीलदार हरनावदाशाहजी के क्षेत्राधिकार में आता है। उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी की ओर से जवाबदेही की गई थी कि रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ता 3 के खाते की आराजी में होकर अन्य रास्ते उपलब्ध है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्त्वपूर्ण तथ्य पर कतई गौर नहीं किया और न हीं निर्णय में उल्लेखित किया। प्रकरण मे रेस्पो. के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर साबित नही होते है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ता 3 के अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए दौराने बहस कथन किया गया कि वाके ग्राम सालरखोह पटवार हल्का हरनावदाशाहजी के खसरा नम्बर 462/2 रकबा 1.6187 हेक्टयर प्रार्थीगण के सम्मिलित खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि स्थित है। यह कि मद नम्बर–1 मे वर्णित भूमि मे आने–जाने, हलकुली, ट्रेक्टर ट्रोली ले जाने का कदीमी रास्ता मुख्य सडक कलमोदिया से हरनावदाशाहजी के उत्तर दिशा मे बना हुआ है जिसे नजरी नक्शे मे ए बी सी चिन्हो से एवं हरे पीले रंग से दर्शाया गया है नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र का ही एक भाग है।

यह कि खसरा नम्बर 462/2 मे जाने का रास्ता मुख्य सडक से खसरा नम्बर 477 गै.मु. रास्ते से खसरा नम्बर 478 गै.मु. आबादी के मध्य रास्ते मे होकर खसरा नम्बर 485/1 गै.मु. रास्ते से बी बिन्दु तक पहुंचता है फिर बी से सी बिन्दु तक खसरा नम्बर 464 की पूर्वी मेड के सहारे से खसरा नम्बर 462/2 तक पहुंचता है। यह कि प्रार्थीगण का खेत खसरा नम्बर 462/2 पर मक्का की फसल बोई हुई है जिसे संभालने हेतु प्रार्थीगण दिनांक 14.08.2023 को ग्राम सालरखोह गये तो ए से बी बिन्दु तक ही पहुंच सके, बी बिन्दु से खसरा नम्बर 464 के खातेदार अप्रार्थी का खेत शुरू हो जाता है वहॉ पर कांटो के झाडो एवं जालियॉ लगाकर प्रार्थीगण का रास्ता अवरूद्व का दिया प्रार्थीगण ने अप्रार्थी से निवेदन किया कि रास्ता छोडकर बाड लगाओ परन्तु अप्रार्थीगण ने स्पष्ट कह दिया कि वह उसके खेत से प्रार्थीगण को आने–जाने का रास्ता नही देगा।

यह कि खेत खसरा नंबर 462 पर आने–जाने एवं कृषि उपकरण लाने एवं ले जाने का नजरी नक्शे मे दर्शाये रास्ते के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है यदि अप्रार्थी रास्ता अवरूद्व करने मे सफल हो गया तो प्रार्थीगण की भूमि हमेशा–हमे[illegible] पडत हो जावेगी तथा प्रार्थीगण को ओने–पोने दामो मे उक्त भूमि को [illegible] यह कि उक्त रास्ते के अवरूद्व हो जाने से प्रार्थीगण को आर्थिक मानसिक एवं शारीरिक [illegible] होगी जिसकी पूर्ति किसी भी तरह से सभंव नही हो सकेगी इसलिये रास्ता खुलासा होना अति आवश्यक था। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा जो आदेश दिनांक 04.10.2[illegible] को पारित किया गया है, वह सही पारित किया गया है। रेस्पोडेन्टगण के अभिभाषक द्वारा अपने पक्ष समर्थन मे न्यायिक दृष्टांत रेवेन्यू बोर्ड, अजमेर Revision TA No. 4133/Sikar of 2005 बउनवान रामचंद्र सिंह बनाम राजेन्द्र निर्णय दिनांक 24.03.2011 एवं रेवेन्यू बोर्ड, अजमेर 2014(2) RRT 847 Revision TA No. 4110/Jaipur of 2012 बउनवान मुन्नी देवी बनाम दुर्गेश कुमार निर्णय दिनांक 29.01.2014 प्रस्तुत कर अपील अपीलांट खारिज फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.03.21 13:07:03 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में उभयपक्ष के अभिभाषक की बहस सुनी गई। प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद से प्राप्त मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलांट के अभिभाषक का मुख्य कथन है कि उक्त भूमि नायब तहसीलदार हरनावदाशाहजी तहसील छीपाबडौद जिला बारॉ के क्षेत्राधिकार मे है। जिसमे तहसीलदार छीपाबडौद को आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छीपाबडौद मे प्रार्थीगण द्वारा रास्ता खुलासा करवाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जबकि उनको संबंधित ग्राम पंचायत मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिये था। यदि ग्राम पंचायत 45 दिवस के अन्दर उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण नही करती तब तहसीलदार छीपाबडौद को आदेश पारित किया जाना चाहिये था। अपीलांटगण के खाते की भूमि मे नया रास्ता कायम किये जाने का आदेश पारित करने का तहसीलदार छीपाबडौद को कोई अधिकार प्राप्त नही है।

प्रकरण मे रेस्पोडेन्टगण के अभिभाषक का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा अपीलांटगण द्वारा कांटो के झाड एवं जालियॉ लगाकर रेस्पोडेन्टगण के अवरूद्व किये गये रास्ते को खुलासा करवाये जाने का आदेश दिया गया है, जो सही है।

प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छीपाबडौद मे पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 21.04.2024 का भी अवलोकन किया गया जिसमे अंकित किया गया है कि ग्राम सालरखोह के मजरा अमृतखेडी मे प्रार्थी के खातेदारी के खसरा नम्बर 462/2 पर मौके पर पहुंचा जहॉ हरनावदाशाहजी से अकलेरा मेन रास्ते से प्रार्थी के खसरे की और खसरा नम्बर 477 गै. मु. रास्ता जिसमे आज दिनांक तक रास्ता खुला हुआ है खसरा नम्बर 478 गै.मु. आबादी मे भी रास्ता खुला हुआ है खसरा नम्बर 485/1 गै.मु. रास्ता भी खुला हुआ है किन्तु खसरा नम्बर 485/1 से 462/2 के मध्य खसरा नम्बर 464 जो कि खातेदार लक्ष्मीचंद पुत्र गोपाल जाति लोधा सा. अमृतखेडी के खातेदारी की भूमि है, जिसमे मौके पर रास्ता नही है और ना ही राजस्व नक्शे मे रास्ता दर्ज हैं। ग्राम वासियान द्वारा बताया गया है कि खसरा नम्बर 464 मे रास्ता नही है खसरा नम्बर 485/1 से आगे रास्ता बन्द है जो कि सभी खातेदार भूमि जोतने हेतु कृषि यंत्र ट्रेक्टर आदि जंग लमे से होकर लाते है जो बहुत दूर एवं खर्चिला पडता है एवं खसरा नम्बर 457 भी उक्त अप्रार्थी के खातेदारी मे ही दर्ज है।

प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय तहसीदार छीपाबडौद मे रेस्पोडेन्टगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.एक्ट मे पारित निर्णय दिनांक 04.10.2024 मे उल्लेखित कर आदेशित किया गया है कि ग्राम सालरखोह पटवार हल्का हरनावदाशाजी के खसरा नम्बर 462/2 रकबा 1.6187 हेक्टयर भूमि मे आने–जाने हेतु मार्ग सुखाधिकार के अन्तर्गत चाहे गये /पूर्व प्रचलित मार्ग का खुलासा किया जाना न्यायोचित समझता हूॅ। अतः संबंधित भू.अ.नि. एवं पटवार हल्का को आदेश दिये जाते है कि दावे के साथ संलग्न नक्शे प्रारूप एवं प्रदर्श पी–1 के अनुसार दर्शित बिंदु संख्या ''ए'' से ''बी'' तक तथा बी से सी तक खसरा सं. 462/2 पर पहुंच के लिए रास्ता खुलासा कराये। उक्त संबंध में अप्रार्थीगण को पाबंद करावे।

चूंकि तहसीलदार का क्षेत्राधिकार संपूर्ण तहसील होता है। इस प्रकार प्रकरण में तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.एक्ट बउनवान द्वारकीलाल बनाम लक्ष्मीचंद में पारित निर्णय दिनांक 04.10.2024 से रास्ता खुलासा करवाये जाने का आदेश दिया गया है जिसमें यह न्यायालय किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझता है।

Signature Not Verified

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट सा[illegible]से खारिज की जाती है।

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.03.21 13:07:03 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 28.01.2025 को [illegible] लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर,
बारॉ